संख्या- 93/1626/बयालिस-2015-21(विविध)/2015

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 18 नवम्बर, 2015**

विषय- जनपद बस्ती के स्पोर्ट्स स्टेडियम के सुदृढीकरण एवं मरम्मत तथा सिन्थेटिक बास्केटबाल कोर्ट के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी- 329/नि0 बस्ती स्टे0 पत्रा0/2015-16, दिनांक 03 जुलाई, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बस्ती के स्पोर्ट्स स्टेडियम के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत तथा सिन्थेटिक बास्केटबाल कोर्ट के निर्माण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- 12/318/बयालिस-2015-21(विविध)/2015, दिनांक 18 मार्च, 2015 द्वारा रू0 127.22 लाख (रू0 एक करोड़ सत्ताईस लाख बाईस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करते हुए रू0 50.00 लाख निर्गत किया गया था। वित्तीय वर्ष- 2015-16 में बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख में अवशेष धनराशि रू0 77.22 लाख (रू0 सतत्तर लाख बाईस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 77.22 लाख (रू0 सतत्तर लाख बाईस हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके निर्माण इकाई उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित करते हुए निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(2)- उक्त कार्यों को पूर्णगुणवत्ता/मानको एवं विशिष्टियों के अनुरूप स्वीकृत लागत में ही किया जायेगा, तथा एसोसिएशन द्वारा पुनरीक्षित लागत की मांग नहीं की जायेगी। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं निदेशक, खेल का होगा।

(3)- उक्त कार्य की लागत में टाईम ओवर रन/कास्ट ओवर रन के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 10 जुलाई, 2002 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4)- उक्त कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगें।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6)- जनपद बस्ती के स्पोर्ट्स स्टेडियम के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत तथा सिन्थेटिक बास्केटबाल कोर्ट के निर्माण हेतु निर्गत मूल शासनादेश संख्या- 12/318/बयालिस-2015-21(विविध)/2015, दिनांक 18 मार्च, 2015 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(7)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त आय-व्ययक अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30.03.2015 में निहित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2015-16 में अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-57-जनपद बस्ती के स्पोर्टस स्टेडियम के सुदृढीकरण एवं मरम्मत तथा सिन्थेटिक बास्केटबाल कोर्ट का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2015:बी0-1/925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अनिल कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या- 93/1626(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, बस्ती।
(5)- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0।
(6)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(7)- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग- 5
(8)- नियोजन अनुभाग- 4
(9)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in